जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक - 02.06.2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस व स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की घटना का अनावरण करते हुए घटना का षडयंत्र रचने वाले 05 अभियुक्तों को लिया पुलिस हिरासत में।

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि श्री सुशील चौधरी जोकि थाना कोतवाली शहर क्षेत्र की मन्नुपुरम कॉलोनी के निवासी है तथा इनका थाना कोतवाली शहर क्षेत्रान्तर्गत श्री हॉस्पिटल के पास प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्यालय है। दिनांक 29.05.2024 को समय करीब 19.35 बजे सुशील चौधरी उपरोक्त अपने घर जाने के लिए अपने कार्यालय से निकले ही थे कि तभी दो अज्ञात व्यक्तियों ने सुशील चौधरी को गोली मार दी। सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल सुशील चौधरी उपरोक्त को जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उपचार के दौरान सुशील चौधरी की मृत्यु हो गई।

पुलिस अधीक्षक, बिजनौर द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा घटना के खुलासे हेतु 04 टीमों का गठन कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। मृतक के पुत्र की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 453/24 धारा 302 भादवि बनाम दो व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आये कि मृतक सुशील कुमार उर्फ टोनी पुत्र रामदीया जो चांदपुर रोड पर प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। मृतक सुशील कुमार ने अपनी साढे नौ बीघा जमीन 1.हसीन पुत्र नफीस अहमद निवासी मौ0 खत्रियान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 2.वसीम पुत्र फकरूद्दीन निवासी मौ0 मिर्दगान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 3.अतुल चौधरी पुत्र आदित्यवीर निवासी फरीदपुर उद्दा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 4.नईमुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन निवासी मौ0 बुखारा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 5.शुभम चौधरी पुत्र सतेन्द्र चौधरी निवासी फरीदपुर उद्दा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 6.अरनव तोमर पुत्र शौकीन निवासी न्यू सिटी कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को 03 करोड 90 लाख रुपये में मौखिक एग्रीमेंट किया था। जिसमें सभी छः लोगों ने मिलकर मृतक सुशील कुमार को 40 लाख रुपये एडवांस दे दिये थे। उक्त एग्रीमेंट की समयावधि समाप्त हो गयी थी।

विपक्षीगण द्वारा समय पर पैसे नही दिये गये एवं इसके बावजूद भी विपक्षीगण सुशील कुमार पर बैनामा कराने के लिये दबाव बना रहे थे।

इसी बात को लेकर करीब 15 – 20 दिन पूर्व हसीन के भांजे फैजान पुत्र अनवर निवासी लक्कीपुरा थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ जिसका बिजनौर – नूरपुर रोड पर होटल है। उक्त होटल पर मृतक एवं क्रेतागण के मध्य कहासुनी एवं गाली – गलौच हो गयी थी। इसी बात को लेकर विपक्षीगणों ने सुशील को बैनामा न कराने पर देख लेने की धमकी दी थी। इसके बाद हसीन के भांजे फैजान के माध्यम से मेरठ से शूटरों को भाडे पर बुलवाया तथा 2.5 लाख रुपये में सुशील को मारने की बात तय की गयी और विपक्षीगणो द्वारा 2.5 लाख रुपये एकत्रित करके शूटर को दे दिये थे। योजनानुसार दिनांक 29.05.2024 को शूटर द्वारा अपने साथी शूटर के साथ मिलकर सेन्ट मेरी चौराहे से आगे आरसी व श्री हॉस्पिटल के सामने बिजनौर – नजीबाबाद रोड पर राकेश के खोखे के पास सुशील कुमार को गोली मार दी, जिससे सुशील कुमार की मृत्यु हो गयी। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 120-B भादवि की वृद्धि की गयी।

आज दिनांक 02.06.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस एवं स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा घटना का षडयंत्र रचने वाले 05 अभियुक्तगण 1. वसीम 2. अतुल चौधरी 3. नईमुद्दीन 4. शुभम चौधरी 5. अरनव तोमर को पुलिस हिरासत में लिया गया है। पूछताछ कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी।

नोटः- पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा घटना के खुलासा करने वाली टीम को 25,000/- रुपये के पुरस्कार की घोषणा की गयी है।

पुलिस हिरासत में लिये गये अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.वसीम पुत्र फकरूद्दीन निवासी मौ0 मिर्दगान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.अतुल चौधरी पुत्र आदित्यवीर निवासी फरीदपुर उद्दा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

3.नईमुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन निवासी मौ0 बुखारा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

4.शुभम चौधरी पुत्र सतेन्द्र चौधरी निवासी फरीदपुर उद्दा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

5.अरनव तोमर पुत्र शौकीन निवासी न्यू सिटी कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

पुलिस टीम का विवरण –

थाना कोतवाली शहर पुलिस

1.श्री सुशील कुमार, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.व0उ0नि0 श्री मृदुल कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

3.उ0नि0 राजीव कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

उ0नि0 प्रशिक्षु हिमांशु थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

4.कां0 मोहित कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

5.कां0 संदीप सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

6.कां0 विजय कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

7.कां0 अश्वनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

स्वाट / सर्विलांस टीम

1.श्री जयवीर सिंह प्रभारी सर्विलांस सेल मय टीम

2.श्री शौकत अली प्रभारी स्वाट मय टीम

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नगीना **दिनांक - 02.06.2024**

थाना नगीना पुलिस द्वारा अंतरराज्यीय वाहन चोरो को चोरी की 04 मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही –

जनपद में वाहन चोरी की घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाने व वाहन चोरी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा चोरी गये वाहनों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नगीना पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1-पीयूष चौहान पुत्र महेन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम भूतपुरी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर 2- केशव पाल पुत्र गजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम भूतपुरी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर 3- कृष्णा सैनी पुत्र मोन सिंह निवासी ग्राम भूतपुरी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर 4- नदीम पुत्र नफीस निवासी ग्राम शरीफ नगर थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी की 04 मोटरसाइकिल बरामद की गयी । इस संबंध में थाना नगीना पर मु0अ0सं0 163/2024 धारा 420/411/414/465/482 भादवि पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि अभियुक्त पीयूष चौहान उपरोक्त धामपुर, काशीपुर व अन्य स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है तथा चोरी की मोटरसाइकिलों की पहचान छिपाने के लिये नम्बर प्लेट को बदलकर सस्ते दामों पर अपने दोस्तो केशव पाल, कृष्णा सैनी व नदीम उपरोक्त के माध्यम से विक्रय करता था।

थाना धामपुर से चोरी गई मोटरसाइकिल के संबंध में थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 255/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत है। अभियुक्तगणों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1- पीयूष चौहान पुत्र महेन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम भूतपुरी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
2- केशव पाल पुत्र गजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम भूतपुरी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
3- कृष्णा सैनी पुत्र मोन सिंह निवासी ग्राम भूतपुरी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
4- नदीम पुत्र नफीस निवासी ग्राम शरीफ नगर थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी का विवरण –

1- मोटर साईकिल हीरो स्पलेण्डर प्लस रजिस्ट्रेशन नम्बर UP21L-7132
2- मोटर साईकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस चेसिस नम्बर घिसा हुआ।
3- मोटर साईकिल हीरो स्पलेण्डर प्लस रजिस्ट्रेशन नम्बर UP13AQ 4089
4-मोटर साईकिल स्पलेण्डर रंग काला (पीछे का पहिया हटाकर सामान ढोने का ठेला बनाया हुआ है)

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास —

आपराधिक इतिहास अभियुक्त पीयूष चौहान उपरोक्त –

1- मु0अ0सं0 255/24 धारा 379 भादिव थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

2- मु0अ0सं0 163/24 धारा 420/411/414/465/482 भादिव थाना नगीना जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त केशव पाल उपरोक्त

1- मु0अ0सं0 163/24 धारा 420/411/414/465/482 भादिव थाना नगीना जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त कृष्णा सैनी उपरोक्त

1- मु0अ0सं0 163/24 धारा 420/411/414/465/482 भादिव थाना नगीना जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त नदीम उपरोक्त

1- मु0अ0सं0 163/24 धारा 420/411/414/465/482 भादिव थाना नगीना जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-उ0नि0 सरवेज खां, थाना नगीना जनपद बिजनौर।
2-मुख्य आरक्षी 730 विपिन कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर।
3-आरक्षी 1580 ललित कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर।
4-आरक्षी 2553 विशाल कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–थाना कोतवाली देहात दिनॉक 02.06.2024

थाना कोतवाली देहात पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 111/24 धारा 34/307/323/324/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 25.05.2024 को वादी श्री अनीस पुत्र बुन्दू शाह निवासी ग्राम फरीदपुर दुल्ला थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.इमरान पुत्र अशरफ शाह 2.जुल्फकार पुत्र अख्तर 3.बाबू पुत्र अख्तर निवासीगण ग्राम फरीदपुर दुल्ला थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ने एकराय होकर वादी के साथ गाली गलौच करते हुये जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से हमला कर मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 111/24 धारा 34/307/323/324/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही–

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 02.06.2024 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 111/24 धारा 34/307/323/324/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त इमरान पुत्र अशरफ निवासी ग्राम फरीदपुर दुल्ला थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.इमरान पुत्र अशरफ निवासी ग्राम फरीदपुर दुल्ला थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 इन्देश कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

2.मुख्य आरक्षी 627 राजीव कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 02.06.2024**

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 220/24 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 10.05.2024 को वादी श्री महीपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री मंगू सिंह निवासी ग्राम मिठनपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना चांदपुर पर तहरीर दी गयी कि वादी के खेत में गोवंश के अवशेष पडे हुए है, किन्ही अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोंवश की हत्या की गयी है । तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 220/24 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्तगण 1. रईस पुत्र हफीज 2. फईम उर्फ काला पुत्र हफीज 3. माजिद पुत्र नामालूम 4. जाबिर पुत्र अमीर 5. साजिद पुत्र नसीम निवासीगण ग्राम मसीत थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश मे आये।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 220/24 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम में वांछित अभियुक्तगण 1. रईस पुत्र हफीज 2. फईम उर्फ काला पुत्र हफीज निवासी ग्राम मसीत थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नोट- दिनांक 18.05.2024 को स्थानीय पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त साजिद पुत्र नसीम निवासी ग्राम मसीत थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. रईस पुत्र हफीज नि0 ग्राम मसीत थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
2. फईम उर्फ काला पुत्र हफीज नि0 ग्राम मसीत थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

अभियुक्त रईस उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 353/2010 धारा 295 भादवि व 3/5/8 गौवध अधि0 व धारा 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

2.मु0अ0सं0 218/2018 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

3.मु0अ0सं0 220/2024 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

अभियुक्त फईम उर्फ काला उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0स0- 353/2010 धारा 295 भादवि व धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व धारा 11 पशु क्रु0 अधि0 थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

2.मु0अ0स0 17/23 धारा 147/148/323/332/336/353/504/506 भादवि व धारा 7 सीएल एक्ट थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

3.मु0अ0स0 57/24 धारा 269/270/420/429 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

4.मु0अ0सं0 220/24 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 जुगेन्द्र सिह तैवतिया थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
2. का0 1244 अनुज थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
3. म0का0 911 राखी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

BIJNOR POLICE

थाना साइबर क्राइम, जनपद– बिजनौर

मई – 2024

थाना साइबर क्राइम, जनपद बिजनौर के द्वारा मई – 2024 में 10 व्यक्तियों से हुई ऑनलाइन रुपयों की धोखा–धड़ी में कुल 2,61,634/- रुपये वापस कराये गये–

थाना साइबर क्राइम जनपद बिजनौर द्वारा निम्न शिकायतों को तत्काल संज्ञान में लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी, जिसके फलस्वरूप पीड़ितों के बैंक खातों से निकाले गये रुपयों को वापस कराया गया। रुपये वापस मिलने पर पीड़ितों द्वारा बिजनौर पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

क0सं0	थाना	प्रा0पत्र सं0/ मु0अ0सं0	बरामद धनराशि
1	को0शहर	NCRP सं0– 52814	7,000/-
2	को0शहर	NCRP सं0– 52137	1,200/-
3	को0शहर	प्रा0पत्र– 50/2024	5,000/-
4	नजीबाबाद	NCRP सं0– 63445	20,000/-
5	नजीबाबाद	प्रा0पत्र– 02/2024	50,000/-
6	स्योहारा	NCRP सं0– 37687	90,000/-
7	स्योहारा	NCRP सं0– 40388	22,500/-
8	स्योहारा	NCRP सं0– 42673	25,000/-
9	मण्डावली	प्रा0पत्र– 16/2024	31,434/-
10	शिवालाकलां	NCRP सं0– 36022	9,500/-
कुल योग			**2,61,634/-रुपये**

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना शेरकोट **दिनांक 02.06.2024**

थाना शेरकोट पुलिस ने वांरटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांरटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 02.06.2024 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा वांरटी अभियुक्त मौ0 रिजवान पुत्र अब्दुल हमीद निवासी मौहल्ला काजी सराय कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मौ0 रिजवान पुत्र अब्दुल हमीद निवासी मौहल्ला काजी सराय कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 विपिन कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 400 प्रदीप कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।
3. का0 1297 अनुज ढाका थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–थाना शिवालाकलां दिनॉक 02.06.2024

थाना शिवालाकलां पुलिस ने सम्पत्ति विवाद में सगे भाई की हत्या करने वाले अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल तबल सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 31.05.2024/01.06.2024 की रात्रि में थाना शिवालाकलां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मुराहट में एक व्यक्ति की हत्या कर शव का दाहसंस्कार किये जाने की सूचना थाना शिवालाकलां पुलिस को प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर थाना शिवालाकलां पुलिस ने गांव में जाकर गांव वालो से प्रारम्भिक पूछताछ की तो मृतक नरेश की बीमारी से मृत्यु होने के कारण उसके परिजनों द्वारा उसका दाहसंस्कार करना बताया। पुलिस द्वारा गहनता से जांच एवं पूछताछ की गयी तो दो भाईयों के मध्य सम्पत्ति को लेकर विवाद था। बडे भाई सुरेश पुत्र सरदार सिंह के द्वारा अपने छोटे भाई नरेश की तबल से हत्या कर दी तथा घटना छिपाने के उद्देश्य से पुलिस को बिना सूचना दिये शव का दाहसंस्कार कर दिया गया। मृतक की बहन मुनेश पत्नी नरेश सिंह निवासी ग्राम विरामपुर थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा ने मौके पर आकर अपने भाई सुरेश के द्वारा अपने छोटे भाई नरेश की हत्या कर देने के संबंध में पुष्टि करते हुये थाना शिवालाकलां पर तहरीर दी। जिस संबंध में थाना शिवालाकलां पर मु0अ0सं0 70/24 धारा 302/201 भादवि बनाम सुरेश उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही–

वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा फील्ड यूनिट टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा घटनास्थल से मृतक का रक्त व दाहसंस्कार स्थल से मृतक के जले हुये अवशेष कब्जे में लिये गये। आज दिनांक 02.06.2024 को थाना शिवालाकलां पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 70/24 धारा 302/201 भादवि में वांछित अभियुक्त सुरेश पुत्र सरदार सिंह निवासी ग्राम मुराहट थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल तबल बरामद किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बिजनौर पुलिस बिजनौर के उस नागरिक का धन्यवाद करती है जिसने उक्त सनसनीखेज घटना की सूचना देकर घटना के खुलासे में बिजनौर पुलिस की मदद की। उक्त घटना को छिपाने के लिये अभियुक्त सुरेश (मृतक के भाई) के द्वारा घटना कारित कर शव का दाहसंस्कार कर दिया गया था। उक्त घटना की सूचना ग्राम प्रहरी के द्वारा स्थानीय पुलिस को न दिये जाने के कारण उसके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.सुरेश पुत्र सरदार सिंह निवासी ग्राम मुराहट थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण–

1–घटना में प्रयुक्त एक तबल (आलाकत्ल)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.थानाध्यक्ष तेजपाल सिंह थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।
2.उ0नि0 मुकेश राजौरा थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।
3.उ0नि0 अरविन्द थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।
4.मुख्य आरक्षी राजेन्द्र थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।
5.आरक्षी मोनू थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।
6.आरक्षी सोनू थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।